छत्तीसगढ़ विधान सभा

जुलाई, 2025 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार,दिनांक 15 जुलाई, 2025 (आषाढ़ 24,1947)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. अध्यादेश का पटल पर रखा जाना

श्री ओ.पी. चौधरी, वाणिज्यिक कर मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान (संशोधन) अध्यादेश, 2025 (क्रमांक 2 सन् 2025) पटल पर रखेंगे।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005) की धारा 25 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024 पटल पर रखेंगे।

(2) श्री विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 23 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 5–2/2024/आठ–परि., दिनांक 20 जून, 2025 पटल पर रखेंगे।

(3) श्री रामविचार नेताम, आदिम जाति विकास मंत्री, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 24 सन् 1995) की धारा 14 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का उन्नीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023–2024 (1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024) पटल पर रखेंगे।

(4) श्री केदार कश्यप, जल संसाधन मंत्री, बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 (क्रमांक 41 सन् 2021) की धारा 45 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार राज्य बांध सुरक्षा संगठन द्वारा प्रस्तुत बांध सुरक्षा वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024–2025 पटल पर रखेंगे।

(5) श्री केदार कश्यप, सहकारिता मंत्री, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम का अंकेक्षण प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 पटल पर रखेंगे।

क्रमशः 2

(6) श्री केदार कश्यप, संसदीय कार्य मंत्री, छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 9 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक :—

(i) 126 / एफ 2(7) / 48 / सं.का. / 2024, दिनांक 13 मार्च, 2025

(ii) 128 / एफ 2(7) / 48 / सं.का. / 2024, दिनांक 13 मार्च, 2025 तथा

(iii) 239 / एफ 2(1) / 48 / सं.का. / 2025, दिनांक 30 मई, 2025 पटल पर रखेंगे।

(7) श्री ओ.पी. चौधरी, वित्त मंत्री, छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 (क्रमांक 43 सन् 1973) की धारा 8—क की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा द्वारा अंकेक्षित स्थानीय नगरीय निकायों, पंचायत राज संस्थाओं, अनुदान प्राप्त एवं अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2023—2024) पटल पर रखेंगे।

4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) श्री राजेश अग्रवाल, सदस्य, अम्बिकापुर विधान सभा क्षेत्र में संचालित स्वास्थ्य केन्द्रों में एम्बुलेंस की कमी होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) डॉ. चरणदास महंत, सदस्य, रेडी—टू—ईट एवं फोर्टीफाईट आटा की आपूर्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं करने वाले स्व—सहायता समूह का चयन कर कार्य दिये जाने की ओर महिला एवं बाल विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(3) श्रीमती शेषराज हरवंश, सदस्य, वन मंडल बलौदाबाजार तथा रायपुर में अवैध शिकार एवं आरा मिलों में अवैध काष्ठ के व्यापार होने की ओर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(4) सर्वश्री अजय चंद्राकर, धर्मजीत सिंह, श्रीमती भावना बोहरा, सदस्य, प्रदेश में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या में निरंतर वृद्धि होने की ओर उप मुख्यमंत्री (गृह) का ध्यान आकर्षित करेंगे।

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य, बस्तर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत —

(i) शासकीय महाविद्यालय बकावण्ड में स्नातकोत्तर कक्षाएं प्रारंभ करने,

(ii) शासकीय महाविद्यालय बस्तर हेतु नवीन भवन निर्माण करने,

(2) श्रीमती भावना बोहरा, सदस्य, पंडरिया विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत —

(i) ग्राम पेंड्रा से पावले तक डामरीकृत सड़क निर्माण करने,

(ii) ग्राम खैरा से रूसे बंधी वाले मार्ग तक डामरीकृत सड़क निर्माण करने,

(iii) ग्राम गोबर्रा में प्राथमिक शाला भवन निर्माण करने,

क्रमशः 3

(iv) ग्राम दुधिया में माध्यमिक शाला भवन निर्माण करने,

(v) ग्राम पलानसरी में हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन निर्माण करने,

(vi) ग्राम कुम्ही में हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन निर्माण करने,

(vii) ग्राम सैहामालगी में हायर सेकेण्डरी स्कूल में अतिरिक्त कक्ष निर्माण करने,

(3) श्री ललित चंद्राकर, सदस्य, दुर्ग ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –

(i) ग्राम आलबरस में सड़क निर्माण करने,

(ii) ग्राम पीपरछेड़ी से नगपुरा तक पुल पुलिया सहित सड़क निर्माण करने,

(iii) ग्राम खपरी से अंजोरा मार्ग में स्टापडेम का जीर्णोद्धार करने,

(iv) ग्राम अंजोरा में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण करने,

(v) ग्राम बिरेझर में हायर सेकेंडरी स्कूल भवन निर्माण करने,

(4) श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, सदस्य, भानुप्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –

(i) ग्राम कोटेला विकासखण्ड चारामा के शासकीय प्राथमिक आदिवासी कन्या आश्रम का उन्नयन करने,

(ii) ग्राम कनेचुर विकासखण्ड भानुप्रतापपुर के शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल हेतु भवन निर्माण करने तथा

(iii) ग्राम भैंसाकन्हार (ड़ू) विकासखण्ड भानुप्रतापपुर के शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल हेतु भवन निर्माण करने **के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे।**

6. प्रस्ताव

निर्धारित समय
1 घंटा

श्री केदार कश्यप, संसदीय कार्य मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे :–

''दिनांक 07 मई, 2025 को ''ऑपरेशन सिंदूर'' द्वारा आतंकी ठिकानों को भारतीय सेना द्वारा हमले से ध्वस्त किये जाने के उठाये गये ऐतिहासिक कदम पर ''भारतीय सेना'' के अदम्य साहस एवं वीरता तथा देश के ''यशस्वी प्रधानमंत्री'' की रणनीतिक दक्षता के प्रदर्शन के लिये ये सदन हार्दिक अभिनंदन करता है।''

दिनेश शर्मा,
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

रायपुर,
दिनांक 14 जुलाई, 2025